अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2003

का.आ. 527(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 1994 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 267 अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने एस0ओ0 एस0 चिलड्रन्स विलेज ऑफ इण्डिया, ए-38 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048 द्वारा निराश्रितों, अनाथों और परित्यक्त बच्चों को मुफ्त कपड़े, शिक्षा, आश्रय और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने वाले मौजूदा 27 गांवों के प्रशासन और रख-रखाव की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1995-1996 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 6 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 390 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था; जिसे बाद में

दिनांक 21 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 852 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1961 के नियम 11 ड के उपनियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एस0ओ0 एस0 चिलड्रन्स विलेज ऑफ इण्डिया, ए-38 कैलाश कालोनी, नई दिल्ली-110048 द्वारा निराश्रितों, अनाथों और परित्यक्त बच्चों को मुफ्त कपड़े, शिक्षा, आश्रय और पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने वाले मौजूदा 27 गांवों के प्रशासन और रख-रखाव की चलाई जा रही परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए मात्र बत्तीस करोड़ इकानवे लाख रूपए (एक करोड़ पच्चास लाख रूपए की कार्पस निधि सहित) रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 118-2003/फा. सं. एन.सी.-53/2003]

जी.सी. श्रीवास्तव, सचिव (राष्ट्रीय समिति)